सड़कों पर जला रहे सूखे पत्ते, वातावरण में घुल रहा जहर

रविन्द्र सिंह चौहान

ग्वालियर 25 मार्च. शहर में लंबे समय से कचरा और सूखे पत्तों का उठाव नहीं होने के कारण अब लोग इन्हें जलाने पर मजबूर हो गए हैं। इन दिनों पेड़ों से बड़ी मात्रा में पत्ते झड़ रहे हैं, जो घरों और सड़कों के बाहर जमा हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं होने से ये पत्ते सड़कों पर पड़े रहते हैं।

अधिकारियों की लापरवाही से शहरभर में धुएं का असर, बीमारी का बढ़ा खतरा

इससे परेशान होकर नागरिक इन्हें आग के हवाले कर रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। हालात यह है कि जब इन सूखे पत्तों को लोग नगर निगम की कचरा गाड़ियों में डालते हैं तो गाड़ी पर तैनात कर्मचारी पत्ते डालने से मना कर देते हैं। निगम कर्मचारी ही लोगों से इन पत्तों को जलाने की कह रहे हैं। शहर के सभी इलाकों में सड़कों के किनारे सूखे पत्तों के ढेर देखे जा सकते हैं। पॉश कॉलोनियों से लेकर मुख्य मार्गों तक स्थिति एक जैसी बनी हुई है। नियमित सफाई नहीं होने

के कारण पत्तों का अंबार बढ़ता जा रहा है। लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है।

प्रमुख स्थानों पर दिख रही लापरवाही- शहर के प्रमुख और व्यस्त क्षेत्रों में भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। डीडी मॉल के सामने चिड़ियाघर की दीवार के पास सूखे पत्तों का बड़ा ढेर लंबे समय से जमा है। यहां हाल ही में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ही पत्तों में आग लगा दी गई थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया। इसी तरह गोपाल मंदिर क्षेत्र में भी सड़कों के दोनों ओर बड़ी मात्रा में पत्ते बिखरे पड़े हैं।

धुएं से बढ़ रही स्वास्थ्य समस्याएं

सूखे पत्तों को जलाने से उठने वाला धुआं कॉलोनियों में रहने वालों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी रोगियों को इससे अधिक दिक्कत हो रही है। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। हालात यह हैं कि कई मकानों में छोटे बच्चों के स्कूल चलते हैं। ऐसे में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है।

विशेषज्ञों की सलाहः पत्तों से बना सकते हैं खाद

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि सूखे पत्तों को जलाना न केवल प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि यह संसाधनों की भी बर्बादी है। इन पतों से जैविक खाद तैयार की जा सकती है, जो बागवानी और पौधों के लिए बेहद उपयोगी होती है। यदि नगर निगम इस दिशा में पहल करे, तो शहर के पार्कों और खाली स्थानों में गड्ढे बनाकर इन पत्तों से खाद तैयार की जा सकती है। लोगों का कहना है कि यदि नगर निगम समय पर कचरा और पत्तों का उठाव करे, तो ऐसी स्थिति ही न बने। नियमित सफाई और उचित प्रबंधन के अभाव में लोग खुद ही पत्तों को जलाने का रास्ता अपना रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए घातक है।

इनका कहना है कि

इस समय पतझड़ का मौसम चल रहा है इस कारण पूरे शहर में सूखे पत्तों के ढेर नजर आते है अगर इन पत्तों को डम्पिंग ग्राउंड में ले जाकर इससे खाद बनाई जाए तो सरकार के पास आमदनी की ग्रोथ बढ़ेगी पर ज्यादातर इन पत्तों को सड़क पर ही जला दिया जाता है इससे उठने बाले धुएं से कार्बनमोनो ऑक्साइड गैस और सल्फर गैस निकलती है यह अस्थमा एवं एलर्जी वाले मरीजों के लिए बहुत नुकसान दायक है।

डॉ. प्रकाशवीर आर्य
बरिष्ठ बाल्य चिकित्सक

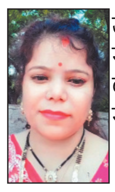

जलते हुए पत्तों से निकलने बाले जहरीले धुंए से शहर में निकलना मुश्किल हो रहा है यह धुआं लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानि कारक है इन सूखे पत्तों को कचरा गाड़ी से उठवाकर कहीं आउट में फिकवा देना चाहिए इससे शहर का वातावरण भी शुद्ध रहेगा।

पूजा भदौरिया
- नागरिक

अपर आयुक्त ने किया निरीक्षण, गंदगी मिलने पर दो कर्मचारियों को नोटिस

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 25 मार्च। अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने साफ सफाई एवं सीएंडडी प्लांट, एफसीटीएस जलालपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य मार्गों पर गंदगी मिलने पर जेडएचओ एवं डब्ल्यूएचओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सहायक यंत्री पवन शर्मा, कचरा ट्रांसफर स्टेशन प्रभारी विष्णु पाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने जलालपुर स्थित एफसीटीएस प्लांट का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएंडडी प्लांट का भी निरीक्षण अपर आयुक्त ने किया तथा सीएंडडी प्लांट के संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने वार्ड 05 में भी भ्रमण किया तथा भ्रमण के दौरान मुख्य मार्गों पर गंदगी एवं जगह-जगह कचरे के ठिये लगे मिलने पर जेडएचओ प्रशांत/सम्पत एवं डब्ल्यूएचओ मनोज/आसाराम खरे को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं वेतन रोके जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई। भ्रमण के दौरान बरा फेस 01 एवं फेस 02 रेमीडेशन कार्य भी निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही गदाईपुरा क्षेत्र क्र. 03 के अंतर्गत वार्ड 8 में झलकारी बाई कॉलेज के पास आईईसी टीम के साथ स्थल निरीक्षण के दौरान क्षेत्र क्र. 3 के क्षेत्राधिकारी को उक्त स्थल पर साइन बोर्ड एवं टूटे शौचालय की मरम्मत के लिए निर्देशित किया।

31 मार्च तक संपत्ति कर जमा करें, पाएँ छूट का सुनहरा अवसर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 25 मार्च। शहर के सम्पत्तिकर दाताओं को मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 31 मार्च 2026 तक सम्पत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को दोहरा लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिसमें शासन के नियमानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्पत्तिकर की राशि पर 50 प्रतिशत छूट का लाभ तथा शासन के निर्देशानुसार ही नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर में अधिभार (पेनल्टी) पर नियमानुसार 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त श्री संघ प्रिय ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार इस विशेष सुविधा के अंतर्गत नागरिकों को चालू वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर समय से जमा करने पर कर राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही, बकाया संपत्तिकर एवं जलकर पर लगने वाले अधिभार (पेनल्टी/ब्याज) में 100 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है, जो कि नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर लागू की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को 31 मार्च 2026 से पूर्व अपना संपूर्ण बकाया संपत्तिकर एवं जलकर जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के पश्चात यह छूट समाप्त हो जाएगी तथा करदाताओं को पेनल्टी सहित अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। नागरिक अपने कर का भुगतान नगर निगम के संबंधित वार्ड कार्यालय, निगम मुख्यालय (सिटी सेंटर) पर जाकर अथवा ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे भी कर सकते हैं। नगर निगम ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए शीघ्र अपना बकाया कर जमा करें और शहर के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। समय पर कर भुगतान करें, छूट का लाभ लें और ग्वालियर के विकास में भागीदार बनें।

सम्पत्तिकर एवं जलकर के अधिभार (पेनल्टी) में इस प्रकार मिलेगा छूट का लाभ

सम्पत्तिकर की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 मार्च लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी।

ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

गुणवत्ता के मापन में जिला चिकित्सालय अव्वल

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 25 मार्च। भारत सरकार के तहत मुरार जिला चिकित्सालय ने अपनी उत्तम गुणवत्ता में सर्टिफिकेट प्राप्त किया है जिसमें कलेक्टर रुचिका चौहान के मार्गदर्शन में 23, 24 एवं 25 फरवरी 2026 को जिला अस्पताल मुरार में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के तहत निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। टीम में पुणे से आए डॉ. अशोक कुमार पालीवाल, कोलकाता से डॉ. सुजोय विष्णु एवं दिल्ली से डॉ. जीना श्री शामिल थी। अस्पताल सहायक प्रबंधक राजेश कुमार बिरथरिया ने बताया कि जिला अस्पताल ग्वालियर की रैंक 91.86 प्राप्त हुई है इसके लिए संपूर्ण चिकित्सक. नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम, लेव टैक्सियन, फार्मासिस्ट, एव अन्य समस्त पैरामेडिकल स्टाफ एवं समस्त आउट सोर्स कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से यह कार्य संभव हुआ है।

जिला चिकित्सालय- एनक्यूएस, लक्ष्य, मुस्कान तीनों में आगे

10 YEAR WARRANTY | BAJAJ SECURE • AMC • ROAD SIDE ASSISTANCE | 72198 21111 | BAJAJ AUTO CREDIT | SHRIRAM Finance | IDFC FIRST Bank ALWAYS YOU FIRST | L&T Finance | TATA CAPITAL Two Wheeler Loans

*नियम और शर्तें लागू. बचत 31 मार्च 2026 तक लागू है. दर्शाई गई कुल सेविंग्स का तात्पर्य है कैशबैक से प्राप्त बचत की कुल राशि, ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस और 5 फ्री सर्विसेस (3 स्टैंडर्ड फ्री सर्विसेस और 2 अतिरिक्त फ्री सर्विसेस). फ्री सर्विस की बचत, शेड्यूल्ड लेबर चार्जेस के लिए है. लागू ऑफ़र्स, मॉडल्स/राज्यों के अनुसार बदल सकते हैं. शून्य पीएफ़ पर सेविंग्स, फ़ायनान्सर पर निर्भर करते हुए लोकेशन्स के अनुसार बदल सकती हैं. फ़ायनान्स उपलब्ध है फ़ायनान्सर के अपने स्व-निर्णय पर. स्टंट्स, एक्सपर्ट्स द्वारा प्रोफ़ेशनल सुपरविज़न के तहत, आम जनता या आम रास्तों से हट कर नियंत्रित और बंद सीमित वातावरण में किए गए हैं. कृपया इन स्टंट्स की नक़ल करने का प्रयास न करें और हर समय ट्रैफ़िक तथा सुरक्षा नियमों का पालन करें. पल्सर 125 ऑफ़र नेयॉन और कार्बन फ़ाइबर मॉडल्स पर. पल्सर के सिंगल सीट वेरिएंट पर ई-कॉमर्स ऑफ़र N160 USD संबंधित ई-कॉमर्स पार्टनर की शर्तों के अधीन हैं. ई-कॉमर्स ऑफ़र पार्टनर के अनुसार भिन्न हो सकते हैं.

Authorised Dealers for Bajaj Auto Ltd.: Gwalior: Tansen Marg TIRUPATI BAJAJ 9522226003 • **Deendayal Nagar** 9522226014 • **Shinde ki Chawani** Om Advance Bajaj 9109102382 • **Sakhiya Vilas** Om Advance Bajaj 9109102385 • **City Centre** Om Advance Bajaj 9109102384 • **Jhansi Road Datia** Om Advance Bajaj, 9109170765 • **Morena** Kamadgiri BAJAJ 9329399165 • **Shivpuri** KK BAJAJ 9425156633 • **Bhind** Shankar Motors 8717894211.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा सिटी सेंटर, ग्वालियर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., सिटी सेंटर से मुद्रित. संपादक हरीश दुबे* समाचार संपादक- अनिल शर्मा, फोन-0751-4086200, फैक्स- 2343200 *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार डाक पंजीयन क्रमांक 507/2008/ग्वा. RNI Reg. No. 62237/95